	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI	IS/ISO Clause No.7.1
Ref.:QMS EACQP-07-1 Page 1 of 5	विषय : वर्गीकरण सोसायटियों के अनुमोदन के बाद किन्तु नौवहन महानिदेशालय से पहले जारी किए गए ई.सी.डी.आई.एस. पाठ्यक्रम का पृष्ठांकन। Subject:-Endorsement of Certificates of ECDIS Course issued after approval of classification societies but prior to DGS approval	File No. 21-TR(4)/2006-II प्रशिक्षण अनुभाग
नौवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित Approved by the Director General of Shipping	वर्ष 2014 का प्रशिक्षण अनुभाग परिपत्र संख्या 8 **Training Circular No.8 of 2014**	दिनांक : 21.10.2014

नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 10/12/के एस 2012.टी.सी.डबल्यू के 2010 – 29 परिपत्र संख्या/म से ईके माध्य 2012.सी.डी.आई.एस. हेतु "इलेक्ट्रोनिक चार्ट' डिस्प्ले एण्ड इन्फोर्मेशन सिस्टम (ई.सी.डी.आई.एस.)" को आयोजित करने के लिए समुद्रकर्मियों के पाठ्यक्रम और प्रमाणन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे।

The Directorate General of Shipping issued the guidelines for the conduct of "Electronic Chart Display and Information System [ECDIS]" course and certification of seafarers for ECDIS vide STCW 2010 Circular No.29 of 2012 dated 10.12.2012.

2. दिनांक 03/01/01 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना संख्या 2013/के 2013 अनुसार उन सभी नौचालन अधिकारियों के लिए तय किया गया है जो ऐसे जलयानों पर अपनी सेवा प्रदान करते हैं जिनपर ई.सी.डी.आई.एस. लगा हो उनसे अपेक्षा है कि वे , 31/12/ बने रहने के लिए एसके बाद समुद्री सेवा हेतु निरंतर योग्य 2016.टी.सी.डबल्यू – करने से पहले था। तर ग्रेड के सक्षमता प्रमाणपत्र को प्राप्तके अंतर्गत उच्च 2010 एस.टी.सी.डबल्यू के अंतर्गत अपने सक्षमता प्रमाणपत्र 2010 – के पुनर्वैधिकरण से पहले नौवहन महानिदेशालय अनुमोदित ई.सी.डी.आई.एस. पाठ्यक्रम पूरा कर लें।

2. As per M.S. Notice No.1 of 2013 dated 3.1.2013, all navigational officers assigned to serve on vessels fitted with ECDIS are required to undergo DGS approved ECDIS course, prior to obtaining the first or higher grader Certificate of Competency under STCW 2010 or prior to Revalidation of their Certificate of Competency under STCW 2010, in order to continue to qualify for sea service after 31.12.2016.

3. समीक्षा करने के उपरांत निदेशालय ने पाया है कि परिच्छेद में उल्लिखित 1 परिपत्र के अनुसार ई.सी.डी.आई.एस. पाठ्यक्रम को आयोजित करने के लिए अनुमोदित एक समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के बारे में पता चला है कि उसने ई.सी.डी.आई.एस. परिपत्र के जारी होने से पहले आई.एम.ओ. मॉडल कोर्स 1. 27(दिवसीय अवधि के पाठ्यक्रम 5 रणसंस्क 2012 का) भी आयोजित किया था। यह भी देखा गया कि आई.एम.ओ. मॉडल कोर्स 1. 27(रणसंस्क 2012 दिवसीय अवधि के पाठ्यक्रम का 5) पूरी तरह से वैसा ही है , जैसा कि नौवहन महानिदेशक अनुमोदित ई.सी.डी.आई.एस. पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और जिन्होंने उक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया हैउनसे यह अपेक्षा है कि वे नौवहन , महानिदेशक अनुमोदित ई.सी.डी.आई.एस. प्रमाणन को प्राप्त करने के लिए इस पाठ्यचर्या को फिर से करें।

3. The Directorate, on review, has observed that there are instances where, an approved maritime training institute which has the approval for conduct of ECDIS course, vide the Circular mentioned in Para 1, have reportedly also conducted the IMO Model Course 1.27 [2012 edition of 5 days duration course], prior to the issue of the ECDIS Circular. It is also observed that the IMO Model Course 1.27 [2012 edition of 5 days duration] is fairly similar to the DGS approved ECDIS Course curriculum, and candidates who have undergone the said course would be required to repeat the curriculum in order to obtain the DGS approved ECDIS Certification.

4. दो बार किए जाने के मामलों को कम करने और -पाठ्यक्रम और प्रमाणन को दो समुद्रकर्मियों के सर्वोतम हित को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नौवहन महानिदेशालय ई.सी.डी.आई.एस. पाठ्यक्रम के ऐसे प्रमाणन को स्वीकार करेगा एवं मान्यता प्रदान करेगा जिसमें ;

4. In order to mitigate the issues of duplication of course and certification, and in the best interest of seafarers, it has now been decided that the Directorate General of Shipping shall accept and recognize such certification of ECDIS course, provided that,

(ए) 10 दिनांक/12/के एस 2012.टी.सी.डबल्यू प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 29/को जारी 2012 किए जाने से पहले अनुमोदित संस्था/संस्थान ने आई.एम.ओ. मॉडल पाठ्यक्रम 1. 27 (रणसंस्क 2012) का पाँच दिवसीय पाठ्यक्रम संस्थान द्वारा आयोजित किया गया हो ;

(a) The institute which had conducted the 5 days programme of IMO Model Course 1.27 [2012 edition] was an approved entity /institute, prior to the issue of STCW Training Circular No.29 of 2012 dated 10.12.2012,

(बी) उक्त आई.एम.ओ. मॉडल पाठ्यक्रम 1. 27(रणसंस्क 2012) को आयोजित किए जाने से पहले इस संस्थान ने निदेशालय से ई.सी.डी.आई.एस. संस्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया हो तथा इसकी सूचना दे दी हो ;

(b) Such institute had sought prior in-principle approval for ECDIS installation and intimated the Directorate, prior to conduct of the said stated IMO Model Course 1.27 [2012 edition].

(सी) किसी ऐसी वर्गीकरण सोसायटी जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफीकेशन सोसायटीज (आईएसीएस) की सदस्य हो जिसके द्वारा पाठ्यचर्या की शुरुआत की तारीख को यह पाठ्यक्रम प्रमाणित तथा अधिप्रमाणित हो ; और

(c) Such a course was certified and authenticated on the date of the commencement of the curriculum, by any of the Classification Society, which is an International Association of Classification Societies [IACS] Member.

(डी) 29 प्रशिक्षण परिपत्र संख्यान को बाद में एसटीसीडबल्यूइस संस्था/के 2012 अनुसार अनुमोदित ई.सी.डी.आई.एस. पाठ्यक्रम को आयोजित करने के लिए अनुमोदन मिल गया हो।

(d) Such institute was later accorded with the approval to conduct the DGS approved ECDIS Course as per STCW 2010 Training Circular No.29 of 2012.

5. ऍबशर्ते ये संस्था/ संस्थान इस बात के इच्छुक हों कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा इनके प्रमाणन को मान्यता प्रदान की जाए तो ये उपर्युक्त परिच्छेद में यथोल्लिखित 4 षण और निदेशालय त करेंगे और अंतराल विश्लेरूप से अपेक्षित प्रलेखीय प्रमाण प्रस्तु कराएं कृति हेतु प्रमाणित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या उपलब्धद्वारा स्वीगे। ऐसे आवेदनों के प्राप्त होने पर यथास्थिति आधार पर कार्रवाई की जाएगी और आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

5. Provided that such entities /institutes desirous of having their certification recognized by the Competent Authority, shall furnish the requisite documentary evidences as stated in para 4 above, and provide the certified course curriculum for a gap analysis and acceptance by the Directorate. Such applications when received, shall be dealt with on a case to case basis, and the applicant shall be notified accordingly.

6. पोत परिवहनथा संशोधित वाणिज्य , इसे(समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण प्रमाणन और निगरानी के मानक) नियमावली अध्याय 47 के नियम 1998IX में प्रदत

शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिवभारत सरकार , के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

6. This is issued with the approval of the Director General of Shipping and Ex-Officio Additional Secretary to the Govt. of India, in exercise of the powers conferred in Chapter IX Rule 47 of the Merchant Shipping [Standard of Training , Certification & Watch-keeping for Seafarers] Rules,1998, as amended.

(आशा मोहम्मद)

सहायक नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

To,

1. All Maritime Training Institutes
2. The Principal Officers, MMD, Mumbai / Chennai /Kolkata /Kochi / Kandla
3. The Shipping Master, Mumbai /Kolkata /Chennai
4. INDOS Cell, Nav Bhavan Building, Mumbai -1
5. Nautical Branch
6. Engineering Branch
7. INSA/ FOSMA/MASSA /ICCSA / MUI
8. Management Representative [QMS], EAC Branch, DGS
9. Computer Cell with a request to upload in the website.
10. Hindi Cell
11. E-Governance Cell
12. Guard File
13. Sr.PS to DG[S] for information.